जे. पी. कॉलेज ऑफ लॉ को मिली मान्यता

जे. पी. कॉलेज ऑफ लॉ को भारतीय विधिज्ञ परिषद्,(Bar Cauncil of India) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो गई है। विदित हो कि जे. पी. ग्रुप. ऑफ एजुकेशन न केवल नालंदा जिले बल्कि पूरे बिहार राज्य का सबसे अग्रणी शैक्षणिक ग्रुप है। इसी ग्रुप के ही एक संस्थान जे. पी. कॉलेज ऑफ लॉ का दिनांक 05/08/2023 को भारतीय विधिज्ञ परिषद् (Bar Cauncil of India) की बैठक में सत्र 2023–24 से मान्यता प्रदान् की गई है। वर्तमान समय में नालंदा जिले में एक भी लॉ कॉलेज नहीं है। ऐसे में यहाँ लॉ कॉलेज खुलने में इस जिले तथा आसपास के जिले के वैसे छात्रों के लिए स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है जो लॉ में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

जे. पी. कॉलेज ऑफ लॉ को तीन वर्षीय लॉ स्नातक तथा पाँच वर्षीय बी. ए. एल. एल. बी. को 60–60 सीटों की मान्यता प्राप्त हुई है। यह जानकारी देते हुए जे. पी. ग्रुप के सचिव श्री शैलेश कुमार ने बताया कि जे. पी. कॉलेज ऑफ लॉ को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में संबद्धता प्राप्त है। अब यहाँ के छात्रों को लॉ करने हेतु बाहर जाने की आवश्यक्ता नहों होगी। यहाँ सुसज्जित पुस्तकालय, क्लासरूम, कुशल शिक्षक इत्यादि सभी उपलब्ध हैं । आज हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो गई है। यह हमारे लिए तथा जिले के लिए हर्ष की बात है।